Shri Datar: Yes. Government do propose to bring a Bill before this House as far as possible in this very session.

लेखकों को पोषण भत्ता

*१२१९. **सेठ गोविन्द दास:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के अन्त तक कितने लेखकों को (अलग अलग भाषा के) केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषण भत्ता दिया गया है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): इसका विवरण सभा के सामने है [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७०]।

सेठ गोविन्द दास: मैंने इस प्रश्न में यह पूछा था कि ऐसे कितने सज्जन हैं जिनको इस प्रकार का पोषण भत्ता दिया जाता है?

Dr. M. M. Das: I think there is difference between दिया जाता है दिया गया है। जिन लेखकों को सरकारी मदद मिली है उनकी संख्या और नाम हमारे पास हैं।

सेठ गोविन्द दास: जिनको यह पोषण भत्ता दिया गया उनके नामों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय किया है वह उन भाषाओं की विशिष्ट संस्थाओं या व्यक्तियों की सिफारिश के अनुसार किया है या किसी और प्रकार से किया है?

डा० एम० एम० दास: हमारे देश के गरीब लेखकों को जो सरकारी मदद मिलती है उसके देने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई गई है जिसके मेम्बर हमारे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा तरीका यह है कि लेखकों की फाइनैन्शियल कंडिशन अर्थात् आर्थिक अवस्था क्या है इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकारों से पूछा जाता है। तीसरा तरीका यह है कि विभिन्न भाषाओं की जो साहित्यिक संस्थाएं होती हैं, जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उन से पूछा जाता है कि फलां लेखक किस दर्जे का है। जब हमें प्रान्तीय सरकारों से और इन साहित्यिक संस्थाओं से सूचना मिलती है तो उसको कमेटी के सामने पेश किया जाता है और कमेटी जो राय देती है उसके अनुसार मदद दी जाती है।

श्रीमती माधवन: क्या मैं जान सकती हूं कि बम्बई प्रान्त के कितने लेखकों को मदद मिली है?

डा० एम० एम० दास: बम्बई राज्य का हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गुजराती और कन्नड़ भाषाओं के कितने लेखकों को मदद मिली है इसकी संख्या मेरे पास है।

Air Force Agreement with Indonesia

*1219. **Shri Amjad Ali:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any agreement has recently been concluded with the Indonesian Government for a mutual exchange of officers of the Air Forces;

(b) if so, the main points in the agreement; and

(c) what will be the main purpose of the Courier Service established with Indonesia?

The Minister of Defence (Dr. Katju): (a) Yes.

(b) The main points of the agreement are

(1) inter-change on reciprocal basis of officers of the two Air Forces; and

(2) a courier service between the two countries.

(c) Apart from giving valuable flying and other experience to the pilots, the courier service will help to bring the two countries closer to each other.

Shri Amjad Ali: May I know with regard to part (a) of the question, how a comparatively younger republic like Indonesia was selected for this purpose?

Dr. Katju: There is no question of a young republic. They made an offer, the matter was discussed and the two countries being friendly, this arrangement was agreed to.

Dr. Suresh Chandra: May I know whether the Government propose to have such exchanges with other friendly countries also?

Dr. Katju: If a suitable opportunity offers, it can be made.

GORKHA BATTALION IN TRIVANDRUM

*1220. **Kumari Annie Mascarene:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to reduce the maintenance staff of the Gorkha battalion posted in Trivandrum; and

(b) if so, the number to be reduced?

The Deputy Minister of Defence (Shri Satish Chandra): (a) Yes.

(b) 19 individuals of the MES staff at Trivandrum are proposed to be reduced during the next four months due to decrease in work.

Kumari Annie Mascarene: May I know whether there was any suggestion that instead of disbanding them or reducing them for a few months, their salary may be reduced so as to keep them continued in service?

Shri Satish Chandra: The hon. Member wrote a letter and a reply has been sent to her.

Some Hon. Members: The House does not know.

अम्बाला छावनी बोर्ड

*१२२१. डा० सत्यवादी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों ने बोर्ड की बैठकों का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो झगड़े की विस्तृत बातें क्या हैं, और

(ग) इसे निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). सिविल एरिया कमेटी के सभापति की हैसियत से उप-प्रधान को निर्णायक-मत देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं, इस विषय को ले कर अम्बाला कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रधान और उप-प्रधान के बीच एक विवादग्रस्त प्रश्न उठ खड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप कैंटोनमेंट बोर्ड ने १-१०-५४ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि उप-प्रधान को बोर्ड की सदस्यता से हटा दिया जाए। इस पर गैर-सरकारी सदस्यों ने बोर्ड की अगली बैठकों में भाग नहीं लिया। जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान ने कैंटोनमेंट्स एक्ट, १९२४ की धारा ५२ के अनुसार प्राप्त अपने अधिकार से इस प्रस्ताव को स्थगित करके झगड़े को समाप्त कर दिया है।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि जो एग्जिक्यूटिव आफिसर हैं वह सरकारी और गैर-सरकारी मेम्बरों के झगड़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या गवर्नमेंट ने इसकी तहकीकात की है?

श्री सतीश चन्द्र: मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

Shrimati Renu Chakravartty: May I know, since the passing of the Act which was debated in this Parliament, even today, the Cantonment Boards still have an official majority and that that is one of the grievances in these Boards?

Shri Satish Chandra: The Cantonment Boards do have an official majority. It is the deliberate policy decided upon by the Defence Ministry that in the interests of the special circumstances that obtain in the cantonments which are primarily for the troops, there should be an official majority.

Shrimati Renu Chakravartty: May I know if in the Civil Area Committees, they have full autonomy

Shri Satish Chandra: In the Civil Area Committees, the Chairman is always a non-official.

COMMISSION ON SANSKRIT EDUCATION

*1224. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state whether a Commission has been appointed to enquire into the present